

# कार्यालय जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर।

संख्यांक: नान्यता/ १८२ /२०१७

पत्रांक: /विविर/ २०६४ /२०१७-१८

प्रमाणक: परमहंस पब्लिक स्कूल बेलवा सुदाम (भोडम्बदगंज)

विकास खण्ड—मोतीचक,

जनपद—कुशीनगर।

दिनांक: रवि. २०१८  
२२ मई २०१८

**विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (५) के अधीन विद्यालय के लिए नान्यता प्रमाण पत्र।**

## मठोदय/मठोदया,

आपके दिनांक: ०८.०८.२०१८ के आवेदन और हस्त सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती /पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, परमहंस पब्लिक स्कूल बेलवा सुदाम (भोडम्बदगंज), विकास खण्ड—मोतीचक, जनपद—कुशीनगर को दिनांक—०१ जुलाई, २०१८ से दिनांक—३० जून, २०१९ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए आंग्रेजी नायन नर्सरी से कक्षा—४ तक के लिए अनंतिम नान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

- १— नान्यता की मंजूरी विरतारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ४ के पश्चात नान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- २— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांचं—१) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांचं—२) के उपबंधों का पालन करेगा।
- ३— विद्यालय कक्षा—१ में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर दर्गा और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- ४— पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (२) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- ५— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- ६— विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा—१५ के उपबंधो का पालन करेगा।

## विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- ❖ प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- ❖ किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा;
- ❖ प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
- ❖ प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम—२५ के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
- ❖ अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना;
- ❖ अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा—२३ (१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के राष्ट्र की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास हूँ अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
- ❖ अध्यापक अधिनियम की धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है; और
- ❖ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

.....2/

(2)

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रस्तुविवार निम्नानुसार है:-
- ❖ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 10410 वर्ग मीटर
  - ❖ कूल निर्मित क्षेत्रफल- 1546.06 वर्ग मीटर
  - ❖ क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल- 6882 वर्ग मीटर
  - ❖ कक्षाओं की संख्या-12
  - ❖ प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय-सह-भांडारागार के लिए कक्ष-03
  - ❖ बालक और बालिकाओं के लिए पृष्ठक शौचालय- 6+6
  - ❖ पैदल सुविधा- इण्डिया मार्का हैप्प घम्य व बोरिंग
  - ❖ मिछ-डे मील पकाने के लिए रसोई-
  - ❖ बाधारहित पहुंच- आख्यानुसार है।
  - ❖ अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- आख्यानुसार है।
  - 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
  - 10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
  - 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक च्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
  - 12-स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
  - 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी थार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को भेजी जानी चाहिए।
  - 14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या- 182/2017 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
  - 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
  - 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
  - 17-संलग्न उपांध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

  
(महेश कुमार मिश्र)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
कुशीनगर।